International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 7.150, Volume 06, No. 02(II), April - June, 2024, pp. 66- 71

भारत में गठबंधन सरकारों का बदलता स्वरूप– एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

Dr. Vaishali Devpura*

शोध सारांशः– भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहां प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव होते है। इन चुनावों के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है जो केन्द्र एवं राज्य स्तर पर सरकार का गठन करते हैं। भारतीय लोकतंत्र में बहुदलीय व्यवस्था का प्रावधान है, इसलिए कई बार किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता। इससे राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः इन परिस्थितियों में गठबंधन सरकार की स्थापना की जाती है। पिछले कुछ दशकों से भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकार का वर्चस्व रहा है। किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने पर अन्य दलों की सहायता से मिली जुली सरकार बनाती है जिसे हम गठबंधन की सरकार के नाम से जानते है। गठबंधन सरकार में दो या दो से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। जनता का किसी एक राजनीतिक दल में विश्वास नहीं होने पर मतदाता जब विकल्प की तलाश करते है तब गठबंधन की प्रक्रिया शुरू होती है। भारत जैसे विशाल देश में भारतीय समाज आज न केवल जाति, धर्म और गरीब–अमीर पर बंटा हुआ है बल्कि वर्ग, जीवनशैली, व्यवसाय आदि के आधार पर बंटा हुआ है। क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय दल प्रभावी होते है क्योंकि वे मतदाताओं के हितों के अनुकूल सिद्ध होते है। भारत में गठबंधन की सरकार राज्य स्तर पर प्रारम्भ हुई 1999 के चुनाव के बाद छोटे–छोटे दल की भरमार हो गई। क्षेत्रीय दल हावी होने लगे। जल्दी–जल्दी चुनाव होने के कारण देश पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। कभी–कभी गठबंधन सरकार का मंत्रीमण्डल दिशाहीन और मूल्यविहीन राजनीति को बढ़ावा देते हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए राजनीतिक दलों में सहनशीलता और कर्तव्य परायणता की आश्यकता है।

संकेताक्षर – गठबंधन, राज्य, केन्द्र सरकार, जनतंत्र।

प्रस्तावना :

भारत में लोकतान्त्रिक व्यवस्था सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर आधारित है।

यह विकेन्द्रित लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत के जनमानस पर अपनी महत्ता के कारण अत्यधिक प्रभावपूर्ण स्थिति बना चुकी है। स्वतंत्रता के पश्चात के वर्षों के राजनीतिक घटनाकर्म का सिहावलोकन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थायी है। थोड़े बहुत राजनीतिक उतार–चढ़ाव के साथ–साथ हमारी राजनीतिक व्यवस्था ने प्रत्येक स्तर पर समाज के सभी व्यक्तियें को प्रभावित किया है। वर्तमान विश्व के अधिकतर राज्य सम्प्रभुता सम्पन्न तथा लोकतांत्रिक है। निर्विवादित रूप से सरकार राज्य का अपरिहार्य तत्व है जिसके द्वारा राज्य की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। समान राजनीतिक विचारधारा वाले व्यक्ति एकत्रित होकर अपना राजनीतिक दल बनाते है, जिसके सामान्य सिद्धान्त निश्चित कर लिए जाते है। वर्तमान में अनेक राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिए उत्सुक होते है, परन्तु कोई एक राजनीतिक दल नहीं रह गया जिसके प्रति सभी नागरिकों की निष्ठा जुड़ी हो। इसके परिणामस्वरूप बहुदलीय व्यवस्था अस्तित्व में आती है और यहीं से गठबंधन और अल्पमत सरकार का दौर शुरू होता है, जिसे मिली जुली राजनीति कहा गया।

* सह आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान)

स्वतंत्रता के पश्चात् बनी संविदा सरकारों का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि गठबंधन सरकारों का निर्माण किसी निश्चित सिद्धान्त या कार्यक्रम के आधार पर नहीं हुआ था यही कारण है कि इनका विघटन शीघ्र ही हो जाता रहा है। दल बदल के कारण इन सरकारों में अस्थिरता बहुत पायी जाती है। इसी अस्थिरता के कारण नीति निर्माण व नीति क्रियान्वयन दोनों ही बुरी तरह प्रभावित होते हैं। गठबंधन सरकार में नौकरशाही को भी बढ़ावा मिलता है। मंत्री पद राजनीतिक सौदेबाजी के साधन बन गये और विभिन्न घटकों को संतुष्ट करने और दल परिवर्तन को रोकने के लिए सांसदों व विधायकों को मंत्रिमण्डल में स्थान देना आवश्यक हो जाता है। प्रजातान्त्रिक संसदीय शासन व्यवस्था में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख केन्द्र मंत्रिमण्डल होता है जो अपने कार्यों के लिए सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है।[1]

शोध विस्तार :

भारतीय संसदीय राजनीति की परम्परा में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों की मिली जुली सरकारों के लिए गठबंधन, संयुक्त व संविदा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है। सामान्य रूप से इन शब्दों के अर्थ परिस्थिति विशेष में बनी सरकारों के संदर्भ में संदर्भित भिन्नता प्रकट करते है किन्तु ये सभी राजनीतिक शब्दावली के अनुसार आंग्ल भाषा के एक ही शब्द 'कोएलिशन' की ओर संकेत करते है। 'कोएलिशन' शब्द लैटिन के 'कोएलीसन' से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक साथ जाना एक साथ उगना या मिलना। इंग्लिश शब्दकोश में इसे विभिन्न दलों, व्यक्तियों या राज्यों का स्थायी रूप से एक में विलीन हुए बिना किसी संयुक्त कार्य के लिए किया गया समझौता बताया गया है। गठबंधन वस्तुतः संसदीय राजनीति की राजनीतिक प्रक्रिया की उपज है। संसदीय शासन में सरकार के गठन के लिए लोकप्रिय सदन में बहुमत की अपरिहार्यता गठबंधन की राजनीति को प्रेरित करती है। इसलिए राजनीति की यह प्रक्रिया बहुदलीय व्यवस्था वाले संसदीय लोकतंत्र में ही प्रायः दृष्टिगोचर होती है।[2]

साधारणतया गठबंधन का अर्थ एक ऐसे समूह से होता है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु विशेष रूप से अस्थायी तौर पर संयुक्त होते है। राजनीति विज्ञान में इस शब्द का प्रयोग उस अर्थ में होता है जबकि विभिन्न राजनीतिक दल, निहित स्वार्थ समूह अथवा गुट नीति निर्णयों को निश्चित करने अथवा सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीतिक समूह बनाते है। राजनीतिक अर्थ में गठबन्धन का अर्थ सामान्य रूप से एक सामूहिक व्यवस्था से है जिसके अन्तर्गत राजनीतिक दलों अथवा उसके सदस्य सरकार अथवा मंत्रिपरिषद् गठित करने के लिए एक साथ होते है।

विलियम एच. रिकर ने ईस्टन को उद्धृत करते हुए स्पष्ट किया है कि गठबंधन सामान्यतया राजनीतिक निर्णय निर्माण के लिए एक विशेष प्रकार का सामाजिक संगठन है। राजनीति को मूल्यों के अधिकारिक बंटवारे के रूप में परिभाषित किया जाता रहा है। बंटवारा गठबन्धन निर्माण की प्रक्रिया है और यह स्पष्ट है कि गठबन्धन का सिद्धान्त राजनीति के सिद्धान्त का केन्द्रीय भाग है।

वैसे तो गठबंधन सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न समूहों के संयुक्त होने की प्रक्रिया है किन्तु यह स्थिति विशुद्ध संघर्ष या विशुद्ध सहयोग की स्थिति में बन पाना संभव नहीं है। संघर्ष की स्थिति में हार या जीत की स्पष्ट स्थिति गठबंधन निर्माण में बाधक है। इसी तरह सहयोगियों में यदि पूर्ण तादात्म्य स्थापित हो जाये तो गठबंधन का स्वरूप ही बदल जायेगा। अर्थात जब ऐसी स्थिति में सहयोगी अलग–अलग न रहकर एकीकृत हो जायेगें। इसलिए बिलियम ए. गैम्सन का कहना है कि गठबंधन का निर्माण तभी संभव है जब संघर्ष और सामान्य हित दोनों साथ–साथ विद्यमान हो और दोनों साथ–साथ चुने जाने वाले मार्ग का निर्धारण करे। गठबंधन की स्थिति में कोई भी निर्णय ऐसा नहीं होता है जिसमें सभी सहयोगियों को एक साथ अधिकतम लाभ मिल सके किन्तु साथ–साथ इसकी भी संभावना रहती है कि अलग–अलग कार्य करने की अपेक्षा संयुक्त होकर काम करने से दोनों सहयोगियों को अधिक लाभ मिलेगा। इसलिए विलियम ए गैम्सन ने गठबंधन की परिभाषा देते हुए कहा कि गठबंधन का अर्थ दो या दो से अधिक इकाइयों द्वारा मिश्रित प्रेरणा की स्थिति में किसी निर्णय को प्रभावित करने के उद्देश्य की दृष्टि से साधनों के सम्मिलित प्रयोग से होता है।

वस्तुतः गठबंधन से आशय दो या दो से अधिक दलों द्वारा मिलकर गठित उस समूह से है जो किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए सम्मिलित किया गया हो। यह सामान्य उद्देश्य एक नई सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था के गठन से लेकर सत्ता प्राप्त करने तक हो सकता है। जब यह समूह सत्ता प्राप्त करने में सफल हो जाता है तब इसे गठबंधन, संयुक्त अथवा संविदा सरकार कहते हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में भारत में गठबंधन का व्यापक संदर्भ में अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

गठबंधन निर्माण के लिए उत्तरदायी कारण :

गठबंधन की राजनीति अथवा सरकार मुख्य रूप से निम्न तीन कारणों से प्रारम्भ होती है या अस्तित्व में आती है–

1. बहुदलीय व्यवस्था के अन्तर्गत संसद के निम्न सदन में मंत्रिपरिषद गठित करने के लिए निश्चित बहुमत प्राप्त करने में किसी एक दल का असमर्थता।
2. द्विदलीय व्यवस्था के अन्तर्गत जब दलों में संतुलन हो या दो में से कोई एक दल किसी एक छोटे गुट के साथ मिलकर सत्ता प्राप्त करना चाहता हो, अथवा,
3. राष्ट्रीय आपातकाल में जबकि सभी शक्तियां सामान्य सुरक्षा की दृष्टि से एक ही दिशा में कार्य करने को तत्पर हो।[3]

भारत में राज्यों अथवा केन्द्र में बनी गठबंधन सरकारें मूलतः पहले कारण के चलते अस्तित्व में आयी संसदीय शासन की अपरिहार्यता, सरकार गठन के लिए निचले सदन में बहुमत ने आवश्यकता पड़ने पर गठबंधन की भावना को प्रेरित किया है। जहां तक भारत में संघीय सरकार का प्रश्न है, वहां भी गठबंधन की राजनीति के पीछे लोकसभा में किसी एक दल को पूर्ण बहुमत न मिल पाना है।

गठबंधन सरकार के महत्वपूर्ण पहलू – भारत जैसे विकासशील देश में जहां एक बड़ा वर्ग अशिक्षित है वहां गठबंधन सरकार कितनी प्रासंगिक है। गठबंधन सरकार के अच्छे और बुरे दोनों ही पक्ष है भारतीय इतिहास पर नजर डाली जाए, तो भारत में कई बार बहुमत प्राप्त दलों ने ही सत्ता संचालन किया है, लेकिन उनसे जनता को आशातीत परिणाम नहीं मिले, इसलिए जनता ने विकल्पों की खोज की। इस प्रक्रिया में किसी एक पार्टी द्वारा सरकार का गठन संभव नहीं हुआ। इससे सभी पार्टियों को भी यह समझ आ गया कि यदि वे जनता की आशाओं पर खरे नहीं उतरेंगे और उनकी उपेक्षा करेंगे, तो वह उसे दोबारा सत्ता में आने का अवसर ही नहीं देगें। इस प्रकार गठबंधन सरकारों ने सभी दलों पर राजनैतिक दबाव बनाया गया। गठबंधन सरकार में किसी भी एक पार्टी की विचारधारा तथा कार्यशैली का तानाशाही में परिवर्तन नहीं हो पाता।

गठबंधन सरकार के सकारात्मक पक्षः– जैसे इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताओं तथा उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है तथा निर्णय लेने में जनता को महत्व दिया जाता है। इसमें निर्णय लेने में बड़े वर्ग का ध्यान रखा जाता है, सिद्धान्तों को अधिक महत्व दिया जाता है। कोई भी निर्णय अच्छी तरह सोच–समझकर लिया जाता है।

गठबंधन सरकार के नकारात्मक पक्ष :

गठबंधन सरकार का स्थायित्व हमेशा संदेहास्पद होता है, क्योंकि इसमें विभिन्न मतों को अपनाने वाले राजनीतिक दल सम्मिलित होते हैं जो अपने निहित स्वार्थवश ही आपस में जुड़े होते हैं। ऐसे में कभी भी सरकार के गिरने का खतरा रहता है जैसे यूपीए–2 के शासनकाल में बार–बार उसे विभिन्न दलों से समर्थन वापस लेने की धमकी मिलती रहती थी। गठबंधन की अस्थिरता के कारण यदि सरकार गिर जाती है तो बहुत कम अवधि में पुनः चुनाव कराने पड़ते है इस प्रक्रिया में धन का बहुत अपव्यय होता है जिसका भार अप्रत्यक्ष रूप से जनता को उठाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त गठबंधन सरकार के लिए कोई भी बड़ा निर्णय ले पाना बहुत कठिन होता है क्योंकि उससे विभिन्न दलों की विचारधारा से सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। इससे समय की बर्बादी बहुत होती है। कई बार सरकार को बचाए रखने के लिए तुष्टिकरण की नीति भी अपनानी पड़ती है जिससे

भ्रष्टाचार तथा अनैतिकता को बढ़ावा मिलता है और योग्य व्यक्तियों को महत्व नहीं दिया जाता। लोकतंत्र में विकास और फैसले लेने की प्रक्रिया वैसे ही धीमी होती है।[4]

गठबंधन सरकार के जितने सकारात्मक पक्ष है, उतने ही नकारात्मक पक्ष भी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसकी सफलता पर संदेह बना रहता है और सरकार स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय लेने से पहले कई बार सोचती है शायद भारतीय जनता भी इस ओर ध्यान केन्द्रित करने पर मजबूर हुई है, तभी तो उसने 16वीं लोकसभा के चुनावों में नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश दिया था।[5]

भारत में गठबंधन की राजनीति :

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चता भारत में कांग्रेस की सरकार जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में बनी। उस समय कांग्रेस के अलावा कोई अन्य दल नहीं था। परन्तु उस समय भी विभिन्न विचारधारा के मानने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं से विचार–विमर्श करती रहती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभिन्न विचारधारा जैसे समाजवाद, साम्यवादी पूंजीवादी सभी राजनीतिक विचारधाराओं को मानने वाले लोग कैबिनेट में शामिल थे परन्तु उसे हम गठबंधन की सरकार की संज्ञा नहीं दे सकते।

भारत में गठबंधन की सरकार राज्य स्तर पर प्रारम्भ हुई। 1953 में आंध्रप्रदेश में संयुक्त मंत्रीमण्डल सरकार की स्थापना हुई जो मात्र 13 महीने तक ही चली। उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश आदि राज्यों में मिली–जुली सरकार का निर्माण किया गया। जनता को आशा थी कि मिली–जुली सरकार कांग्रेस से अच्छी चलेगी परन्तु यह सोच निराधार निकली। वर्तमान समय में भी भारत के विभिन्न राज्यों में गठबंधन की सरकार है परन्तु यह सरकार कितने दिन टिकती है कहना मुश्किल होता है।[6]

भारत में 1970 के दशक में भारतीय राजनीतिक में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिसके कारण भारतीय जनता में विकल्प ढूढ़ना प्रारम्भ कर दिया। इसी बीच 25 जून, 1975 में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया। इस आपातकाल का परिणाम वर्ष 1977 के चुनाव में दिखायी दिया। कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा और पहली गैर कांग्रेसी पार्टी जनता पार्टी ने मोरारजी देसाई ने नेतृत्व में सरकार बनाई। इस सरकार में अलग–अलग महत्वाकांक्षा और उद्देश्य रखने वाले लोग शामिल थे। हकीकत में जनता पार्टी की अपनी कोई विचारधारा नहीं थी परन्तु सरकार के अन्दर नेताओं की महत्वाकांक्षा के चलते जनता पार्टी में फूट पड़ गयी जिसके परिणामस्वरूप मोरारजी देसाई की सरकार का पतन हुआ और चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। वह सरकार भी अन्तर्विरोध के कारण 14 जनवरी 1980 को गिर गई। 1980 में लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सरकार बनी।[7]

1989 में गठबंधन सरकार की स्थापना संयुक्त मोर्चा के वी.पी. सिंह के नेतृत्व में बनी परन्तु वह सरकार भी 11 महिने तक ही चल पायी। इस सरकार का पतन भाजपा द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण हुआ। इसके बाद 10 नवम्बर 1990 में चन्द्रशेखर सिंह ने कांग्रेस का समर्थन लेकर गठबंधन की सरकार बनायी जो 21 जून 1991 तक ही चल पाई। जून 1991 में पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में स्थायी सरकार बनी जिसने पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा किया।

मई 1996 में भारत में आम चुनाव हुआ जिसमें किसी दल को बहुमत नहीं मिला। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र 13 दिन तक चली और उसके बाद देवगौड़ा की सरकार बनी जो कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण मात्र 10 महिने ही चली और 11 अप्रैल 1997 को गिर गई। फिर उसके बाद इन्द्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी किन्तु कांग्रेस ने जैन आयोग की रिपोर्ट विवाद पर समर्थन वापस ले लिया जिससे गुजराल सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा।[8]

मार्च 1998 में पुनः लोकसभा का चुनाव हुआ जिसे अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी जो 13 माह तक चल पायी। अक्टूबर 1999 में पुनः चुनाव हुआ और फिर 24 दलों का गठबंधन बनाकर वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी 1999 के चुनाव के बाद छोटे–छोटे दलों की भरमार हो गई।

क्षेत्रीय दल हावी होने लगे। ये दल राष्ट्रीय हित न देखकर क्षेत्रीय हितों पर ज्यादा ध्यान देने लगे। उसके बाद अस्थिरता का दौड़ प्रारम्भ हो गया। जल्दी–जल्दी चुनाव होने के कारण देश पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। सरकार की अस्थिरता से शेयर बाजार, उद्योग–धन्धे विदेशी निवेश, विदेशों से संबंध पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सभी दल गठबंधन सरकार की सत्ता हासिल करना चाहते हैं चाहे देश की स्थिति कैसी भी हो जाए। संसदीय सरकार में सामूहिक उत्तरदायित्व होना चाहिए जो गठबंधन सरकार के लिए मुश्किल है। कई बार गठबंधन सरकार का मंत्रीमण्डल दिशाहीन और मूल्यविहिन राजनीति को बढ़ावा देते है। गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री जैसे गरिमामयी पद को सामूहिक नेतृत्व की आड़ में कुचल दिया जाता है। 2004 में पुनः चुनाव हुआ उसमें मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी। 2009 के चुनाव में भी कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी। उस समय पूरे देश में राजनीतिक दल दो खेमों में बंट गया। एन. डी. ए. और यू.पी.ए. एन. डी. ए. का नेतृत्व भाजपा कर रही है वहीं यू.पी.ए. का नेतृत्व कांग्रेस कर रही हैं।[9]

गठबंधन की सरकार इस कदर भारतीय राजनीति पर हावी हो गया कि बिना उसके सरकार नहीं बनती है। 2014 के चुनाव में भाजपा ने नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और भाजपा ने गठबंधन सरकार बनायी। इसमें लगभग 15 दलों का गठबंधन था। दूसरी ओर कांग्रेस के यू.पी.ए. गठबंधन को हार का सामना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में एन.डी.ए. गठबंधन को लगभग दो तिहाई बहुमत मिला। अकेले भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ फिर भी गठबंधन की सरकार बनी जिसमें लगभग दर्जन भर क्षेत्रीय दलों का गठबंधन था। 2019 के चुनाव के बाद सरकार से कई क्षेत्रीय दलों ने अपना समर्थन भी वापस लिया था परन्तु भारतीय जनता पार्टी का अपना बहुमत होने के कारण सरकार स्थायी रूप से चली।[10]

2024 के लोक सभा चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत तो नहीं मिल पाया किन्तु सबसे बड़े दल के रूप में उसने एन.डी.ए. के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनायी है और इण्डिया गठबंधन मजबूत विपक्ष के रूप में स्थापित हुआ है।[11]

केन्द्र की सरकार तो गठबंधन से ही चलने की परम्परा सी बन गई है। यदि राज्यों की सरकार को देखें तो भारत के आधे से अधिक प्रान्तों में गठबंधन का ही सरकार है। वर्तमान समय में किसी भी दल की कोई ठोस नीति और सिद्धान्त नहीं है। केन्द्र व राज्य में एक ही दल सहयोग भी और विरोधी भी है।

भारतीय संसदीय प्रणाली बहुदलीय होने के कारण भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को काफी हद तक प्रभावित किया है। इससे संसदीय प्रणाली एवं प्रचलित लोकतांत्रित परम्पराओं पर प्रतिकूल प्रहार हुए हैं। स्वच्छ और स्थायी सरकार के लिए भारत में राजनीतिक दलों को सीमित करने की आवश्यकता है। राजनीतिक दलों के चरित्र का विश्लेषण कर उनके लक्ष्यों को जानने की आवश्यकता है। अतः जो भी राजनीतिक दल बने, वे उच्च आदर्शों और जन आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाले हों और वे मिल–जुलकर ऐसी सरकार बनाये जो राष्ट्रीय हित में हो। लोकतंत्र की सफलता के लिए राजनीतिक दलों में राष्ट्र निष्ठा, सिद्धान्त परायणता, सहनशीलता और कर्तव्य परायणता की परम् आवश्यकता है।

गठबंधन सरकार के सुझाव :

अब तक केन्द्र स्तर पर जो गठबंधन सरकारें गठित हुई हैं उनमें 1977 की जनता पार्टी सरकार के अतिरिक्त अन्य सभी सरकारों का गठन बाहरी समर्थन के आधार पर हुआ है। बाहरी समर्थन के आधार पर गठित ये सरकारें अपनी प्रकृति से ही अस्थायी होती है। यह तो दायित्व के बिना सत्ता की स्थिति है। बाहर से समर्थन देने वाले राजनीतिक दलों का उद्देश्य 'निरन्तर दबाव की राजनीति' को अपनाना ही रहा है। 'बाहरी समर्थन के आधार पर कार्यरत अल्पमतीय सरकारों का प्रयोग पूर्णतया असफल सिद्ध हुआ है।'[12]

गठबंधन सरकार को उसे स्वाभाविक रूप से अपनाया जाना चाहिए। इस दृष्टि से गठबंधन सरकार का नेतृत्व उस राजनीतिक दल के द्वारा किया जाना चाहिए, जिसने चुनाव में पहला स्थान या दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ऐसी सरकारें निरन्तर दबाव और प्रति दबाव से पीड़ित एक कमजोर सरकार बनी रही। लोकतंत्र

बहुमत आधारित शासन का नाम है और ऐसे अल्पमत शासन को लोकतंत्र कह पाना भी बहुत कठिन हो जाता है।

गठबंधन सरकार के नेतृत्व का कार्य एक दल की सरकार का नेतृत्व करने की तुलना में निश्चित रूप से अधिक कठिन कार्य होता है। स्वाभाविक रूप से ऐसी सरकार का नेतृत्व शासन की कला में निपुण और अधिक परिपक्व व वरिष्ठ राजनीतिज्ञ के द्वारा किया जाना चाहिए। गठबंधन सरकारों का नेतृत्व जब प्रभावशाली राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा किया जाता है, तब उसके सफल संचालन की संभावनायें निश्चित रूप से बढ़ जाती है।

गठबंधन सरकारें दो रूपों में हो सकती है। प्रथम राजनीतिक दलों के चुनावें पूर्व गठबंधन के आधार पर और द्वितीय राजनीतिक दलों के चुनाव के पश्चात स्थापित गठबंधन के आधार पर। इनमें प्रथम गठबंधन ही मिली–जुली सरकार का उचित आधार हो सकता है। अब तक केन्द्र में जो गठबंधन सरकारें स्थापित हुई, उनमें वैधता का संकट देखा गया है। जब 'चुनाव पूर्व गठबंधन' के आधार पर गठबंधन सरकारें गठित होगी, तो उन्हें जनादेश की शक्ति और वैधता प्राप्त होगी।[13]

निष्कर्ष :

भारत में केन्द्र एवं राज्य की राजनीति के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि मिली–जुली सरकारें राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से अस्थिर होती है। वे टिकाऊ और सुसंगठित सिद्ध नहीं होती। लॉर्ड ब्राइस का यह कथन ठीक प्रतीत होता है कि मिश्रित मंत्रिमण्डलों की सरकार कमजोर होती है जब सरकार को अपनी सुदृढ़ स्थिति पर भरोसा नहीं होगा, विभिन्न घटकों के परस्पर मतभेद और तनाव के कारण मंत्रिमण्डल की स्थिति डांवाडोल बनी रहेगी, तो वह प्रशासन की ओर कैसे ध्यान दे सकेगी और कैसे जन–कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकेंगी। गठबंधन सरकार की सफलता के लिए आवश्यक है कि कोरी सिद्धान्तवादिता का त्याग कर समझौते की प्रवृत्ति और सार्वजनिक जीवन में व्यावहारिक दृष्टिकोण को अपनाया जाये अहंवादी व्यक्तित्व और अनुशासनहीनता का त्याग कर सार्वजनिक नैतिकता के भाव को ग्रहण करने की आवश्यकता संयम, सहिष्णुता और समायोजन के भाव को अपनाने पर ही गठबंधन सरकार सही अर्थों में सरकार हो सकती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. गुरप्रीत महाजन (2002), द मल्टीकल्चरल पाथः इश्यूस ऑफ डारवरसिटी एण्ड डिसक्रीमिनेशन इन डेमोक्रेसी, नई दिल्ली, सेज प्रकाशन, पृ. 72
2. राकेश बटब्याल (2005). कम्यूनलिज्म इन बंगाल, फ्रॉम फेमिन टू नौखाली, 1943–47, सेज प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 11
3. भीखू पारेख (2006). रिथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, न्ययार्क, पालग्रेव, मैक्मिलान, पृ. 45
4. रूडोल्फ एवं रूडोल्फ (2008), एक्सप्लेनिंग इंडियन डेमोक्रेसीः ए फिफ्टी – ईयर परस्पेक्टिव, द रेल्म ऑफ आइडियास इन्क्वारी एण्ड थ्योरी, खण्ड 1. पृ. 92
5. हरीश दामोदरन (2008). इंडियास् न्यू कैपिटलिस्टसः कास्ट, बिजनेस एण्ड इंडस्ट्री इन ए मॉडर्न इंडिया, ऋषिकेश परमानेंट ब्लैक, पृ. 120
6. सिवानी चौबे किंकर (2009), स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कंस्टीट्यूशन, नई दिल्ली, एन.बी. टी. पृ. 23
7. सिवानी चौबे (2009), द मेकिंग एण्ड वर्किंग ऑफ द इंडियन कंस्टीट्यूशन, नई दिल्ली, एन. बी. टी. पृ. 102
8. सुधा पाई (2010). डेवलपमेंटल स्टेट एण्ड द दलित क्वेशचन इन मध्य प्रदेश कांग्रेस रेस्पांस, नई दिल्ली, राउटसेज, 2010, पृ. 33
9. अकिल बिलग्रामी (2012). सेक्यूलरिज्मः इट्स कान्टेंट एण्ड कांटेक्सट ई.पी. डब्ल्यू. नं. 4, खण्ड 57. पृ. 110

10. योजना– दिसम्बर – 2019, पृ. 05
11. राजस्थान पत्रिका 10 जून 2024
12. योजना– दिसम्बर – 2019, पृ. 05
13. परीक्षा मंथन – जून, 2020 पृ. 39

❖◆❖